न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2024-138RAABarmer2024-94RTA223 Jagaram ors Vs Keshararam etc

01. जगाराम पुत्र कानाराम
02. भाकराराम पुत्र कानाराम
    जातियान् विश्नोई, निवासीगणः– समों की ढाणी, तहसील सेडवा, जिला बाडमेर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. केशराराम पुत्र लालाराम
2. बाबुलाल पुत्र लालाराम
3. दयाराम पुत्र कौशलाराम
   जातियान् विश्नोई, निवासीगणः– समों की ढाणी, तहसील सेडवा, जिला बाडमेर।
4. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सेडवा, जिला बाडमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेडवा, जिला बाडमेर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 16 मई 2024
सहायक कलक्टर सेड़वा राजस्व मूल वाद संख्या 145/2023
केशराराम व अन्य बनाम जगाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री बाबुलाल जाणी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से तीन

नि र्ण य

दिनांक : 23 अप्रैल 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सेड़वा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 145/2023 अनवान केशराराम व अन्य बनाम जगाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 16 मई 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 27 जून 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 व 188 के तहत वादग्रस्त भूमि राजस्व मौजा समों की ढाणी, तहसील सेडवा के खेत खसरा संख्या 676/380 रकबा 6.1208 हैक्टेयर व खसरा संख्या 678/30 रकबा 5.3000 हैक्टेयर के संबंध में बंटवाडां व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 16 मई 2024 के जरिये वादीगण का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर लिया गया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की सुनवाई किये बिना, जवाब प्रस्तुत होने के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बावजूद उसे रेकर्ड पर लिये बिना तथा सुनवाई का अवसर नही देने की नियत से आलौच्य निर्णय पारित किया है। वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, लेकिन अपीलार्थीगण के अधिवक्ता के उपस्थित होने के बावजूद उन्हें जिरह का मौका नहीं दिया गया तथा न ही साक्ष्य हेतु अपीलार्थीगण को अवसर दिया गया, जिससे भी साबित होता है कि आलौच्य निर्णय बिना सुनवाई के पारित किया गया है। अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने के कारण अपीलार्थीगण अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही कर सके। यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थीगण व वादीगण के मध्य बंटवाडा को लेकर विवाद है तथा हिस्सों को लेकर भी विवाद हैं, इसलिये बंटवाडा का वाद चलने योग्य नही रह जाता है। अपीलार्थीगण द्वारा जवाब के साथ काउण्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया गया था तथा जवाब को प्रस्तुत करने में कोई विधि अनुसार देरी नही हुई थी, जिससे भी जवाब को रेकर्ड पर लिया जाना आवश्यक था, लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा जवाब रेकर्ड पर नही लिये जाने की कार्यवाही गलत रूप से होने के कारण अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है तथा जवाब रेकर्ड पर लिये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण के जवाबदावा गौर किये बिना आनन फानन में निर्णय पारित किया है जिससे आलोच्य निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय दिनांक 16 मई 2024 को अपास्त किया जावे एवं मामले में विधिनुसार अपीलांट्स सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेंट्स वादग्रस्त आराजीयात के रेकर्डेड खातेदार दर्ज है। रेस्पोडेट्स द्वारा अपने हक–हिस्से की भूमि के विभाजन बाबत वाद प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन के वाद में अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण के दर्ज हक–हिस्से अनुसार नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये है। अपीलांट्स विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक पेशी पर हाजिर रहे है। उनके द्वारा समय पर जवाब पेश नहीं किया गया। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट्स वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज वर्तमान हिस्से में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। अपीलांट्स द्वारा अपने काउंटर क्लेम में भी हिस्सों में विवाद के संबंध में कोई उज्र नहीं उठाया है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के जरिये वादग्रस्त आराजी मौजा समों की ढाणी, तहसील सेडवा के खेत खसरा संख्या 676/380 रकबा 6.1208 हैक्टेयर व खसरा संख्या 678/30 रकबा 5.3000 हैक्टेयर में वादीगण के संयुक्त 18227/28552 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एवं बाउण्डरा विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु तहसीलदार सेड़वा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट्स के वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज हक–हिस्से में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में हिस्सो को लेकर विवाद का कथन किया है, किंतु उनके द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने कथनों को साबित नहीं किया गया है।

जहां तक अपीलांट्स का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। इस संबंध में विचारण न्यायालय की आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स पर सम्मनों की तामील होने पर वे जरिये अधिवक्ता दिनांक 28.12.2023 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो चुके थे। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को जवाब प्रस्तुति का समुचित अवसर प्रदान किये बिना के बावजूद भी उनकी ओर से समय पर जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा न ही वादीगण के गवाह्न से जिरह की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का उक्त उज्र भी स्वीकार्य नहीं है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री में गुणावगुण पर किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सेड़वा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 145/2023 अनवान केशराराम व अन्य बनाम जगाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 16 मई 2024 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर